**Email/Fax**

# बिहार सरकार
## खान एवं भूतत्व विभाग

सं0सं0--सी0सी0–01/14(खंड)–................................/एम0, पटना, दिनांक–..................................

प्रेषक,

असंगबा चुबा आओ,भा0प्र0से0,
विशेष सचिव–सह–निदेशक।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः– कार्य विभागों द्वारा कार्य परियोजनाओं में व्यवहृत लघु खनिज के लिए देय स्वामिस्व के संबंध में।

महाशय,

कार्य विभागों द्वारा सरकारी परियोजनाओं में व्यवहृत लघु खनिजों के वैध श्रोतों से प्राप्ति की प्रमाणिकता के लिए बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के नियम–40 (10) में वर्णित प्रावधानानुसार प्रपत्र ''एम'' एवं 'एन' के सत्यापन में हो रही व्यवहारिक कठिनाई के कारण दिनांक–10.10.2017 से बिहार लघु खनिज नियमावली, 2017 के नियम–69 में 2 प्रतिशत की दर से मालिकाना फीस की कटौती का प्रावधान किया गया है। बिहार लघु खनिज नियमावली, 2017 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय के खंड पीठ द्वारा C.W.J.C No-15965/2017 पुष्पा सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य तथा अन्य समरूप याचिकाओं में दिनांक–27.11.2017 को स्थगन आदेश अधिरोपित करते हुए बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 को ही प्रभावी रहने का निदेश दिया गया है। उक्त अंतरिम न्यायादेश के आलोक में प्रपत्र ''एम'' एवं 'एन' के सत्यापन की पुरानी पद्धति ही लागू हो जाती है।

अतः निदेशानुसार कहना है कि संवेदकों के विपत्रों का भुगतान प्रपत्र ''एम'' एवं 'एन' का सत्यापन संबंधित जिला खनन से करने के उपरांत ही करने हेतु संबंधितों को निदेश देने की कृपा की जाय। संवेदकों द्वारा प्रपत्र ''एम'' एवं 'एन' नही समर्पित करने अथवा प्रपत्र ''एम'' एवं 'एन' के असत्यापित पाए जाने पर बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाय। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा दिनांक–01.06.2017 के प्रभाव से लघु खनिजों के परिवहन हेतु ई–चालान अनिवार्य किया गया है। कार्य विभाग यदि चाहें तो खान एवं भूतत्व विभाग की वेबसाईट से प्रपत्र ''एम'' एवं 'एन' के साथ संलग्न ई–चालान के सत्यापन के उपरांत भी संबंधित जिला खनन कार्यालय से सत्यापन हेतु पत्राचार कर सकते है।

उपरोक्त निदेश C.W.J.C No-15965/2017 पुष्पा सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में पारित अंतिम आदेश के फलाफल पर निर्भर होगा।

विश्वासभाजन
ह0/–
विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांकः–.......2733......../एम0, पटना, दिनांक–......2/7/18.......

प्रतिलिपिः– सभी उप निदेशक/सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी/खान निरीक्षक को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक 2/7

विशेष सचिव–सह–निदेशक

D/MANOJ/NARENDRA JI/DRAFT